

शुभलीधर बनारस जा-६-११-२०१९

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र 251A

सु.न. 21/2019

आदेशानुसार दिनांक 16-4-2021 को पेश हो। PD उक्त अव्य कार्य में व्यक्त

16.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विद्वा कर खारीज किये जाने का निवेदन किया है। अतः वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विद्वा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

शुभलीधर बनारस

(लक्ष्मीकांत गुप्ता)
उप-सुपरी अधिकारी
श्रीगाधोपुर (सीकर)

शुभलीधर बनारस

